

भारत की प्रगति यात्रा
समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है।

इस प्रगति मार्च में शामिल हों।
आपके कर इस मार्ग को प्रशस्त करते हैं।

आपके

अग्रिम कर
की चौथी किस्त का
15 मार्च, 2024
तक भुगतान करें।



अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी करदाता

वेतनभोगी कर्मचारी सहित, कोई भी निर्धारित, जिसके स्रोत पर काटे गये/संग्रहित किए गए कर के पश्चात्, वित्तीय वर्ष के लिए करदेयता रु. 10,000/- या इससे अधिक है।

ऐसे निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कारोबार/व्यवसाय से आय नहीं है, वे भुगतान के लिए दायी नहीं हैं।

भुगतान की विधि

सभी कॉर्पोरेट्स तथा ऐसे निर्धारित जिनके खातों की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है, के लिए ई-भुगतान अनिवार्य है।

ई-भुगतान अन्य करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि यह सही क्रेडिट सुनिश्चित करता है।

नियत समय

देय तिथि

15 मार्च, 2024 को या उससे पहले

राशि

देय अग्रिम कर का 100%

अग्रिम कर का भुगतान न करने या देरी से करने पर ब्याज लगाया जाएगा।



ई-ब्रोशर के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें



कृपया अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं

आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



अधिक जानकारी के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें